दिनांक 12.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 16/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टीएफ0–जनपद गोण्डा से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सूरज लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 12–10–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2025 धारा 137(2), 87, 351(3), 64(2एम), 65(1) बीएनएस व 5एल/6 व 4(2) पाक्सो एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सूरज को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

सूरज पुत्र झब्बू निवासी ग्राम छतॉगुर थाना तम्बौर, जनपद सीतापुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

सिद्धि इण्टरप्राइजेज के पास थाना क्षेत्र इन्द्रानगर, लखनऊ दिनांक 12–10–2025 समय करीब 10.10 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में पुरस्कार घोषित फरार अपराधियो के सम्बन्ध में सूचना संकलन की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री आशुतोष कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 प्रताप नारायण सिंह, मु0आ0 दिलीप कुमार, मु0आ0 कुलदीप सिंह, मु0आ0 राजेष चालक कुमदेश कुमार की टीम भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2025 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी सूरज कुमार जनपद लखनऊ में छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा सिद्धि इण्टर प्राइजेज के पास थाना क्षेत्र इन्द्रानगर, लखनऊ से वांछित अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज कुमार ने पूछताछ में बताया कि वह गन्ना कटाई के सीजन में लगभग 03 वर्षो से ग्राम गद्दोपुर, थाना क्षेत्र कर्नलगंज, जनपद–गोण्डा आता था। माह मई–2025 में उसी गॉव की रहने वाले एक नाबालिक लड़की को बहला–फुसलाकर शादी करने का लालच देकर अपने घर सीतापुर ले आया। कुछ दिन बाद वह लड़की अपने गॉव चली गयी। इसी सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज, गोण्डा में इसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त यह भागकर राजस्थान चला गया। वहॉ पर कुछ दिन रहने के बाद लखनऊ आ गया और यही पर छिपकर रह रहा था। इसके पूर्व में भी इसके विरूद्ध थाना तम्बौर, जनपद–सीतपुर में मु0अ0सं0 235/2023 धारा 376 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह जेल गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना करनैलगंज, गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2025 में दाखिल किया गया अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>जनपद बलिया/थाना गड़वार</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 11/12.10.2025 को थाना गड़वार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामपुर असली मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राघवेन्द्र उर्फ धूरान 2–अंगद कुमार घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया एवं एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ धूरान शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना गड़वार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गड़वार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राघवेन्द्र उर्फ धूरान निवासी ग्राम त्रिकालपुर थाना गड़वार जनपद बलिया।

2–अंगद कुमार निवासी भीखमपुर थाना फेफना जनपद बलिया।

<u>बरामदगी</u>

1–02 मोबाइल फोन।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 स्विफ्ट कार**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 11/12.10.2025 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भोपा पुल के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शहजाद घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–शादाब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 स्विफ्ट कार,02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो लॉक डिकोडर की मदद से गाड़ियों के लॉक को तोड़कर चोरी की घटना कारित की जाती है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कार चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शहजाद निवासी ग्राम महलकी थाना जानसठ, हालपता जैन नगर कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

2–शादाब निवासी ग्राम महलकी थाना जानसठ, हालपता जैन नगर कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 01 स्विफ्ट कार।

2–02 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना में प्रयुक्त उपकरण आदि**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार (फर्जी नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 12.10.2025 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टपरी बाईपास पुलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मुजम्मिल 2–सरफराज उर्फ सोनू 3–राजू उर्फ राजीव घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया एवं एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की घटना में प्रयुक्त उपकरण, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार (फर्जी नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मुजम्मिल के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, शामली के विभिन्न थानो में डकैती, गैंगेस्टर एक्ट, विद्युत अधिनियम आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त सरफराज के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग एवं अभियुक्त राजीव उर्फ राजू के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, विद्युत अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुजम्मिल निवासी मसावी थाना भवन जनपद शामली।

2—सरफराज उर्फ सोनू निवासी ग्राम जौला थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

3—राजू उर्फ राजीव निवासी ग्राम हीण्ड थाना भवन जनपद शामली।

बरामदगी

1—चोरी की घटना में प्रयुक्त उपकरण।

2—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार (फर्जी नम्बर प्लेट) आदि।

———————